बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

ज्ञापांक 15/पी 5–29/2023 – 23 पटना, दिनांक-13/05/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के भवन निर्माण हेतु बख्तियारपुर में चिन्हित भूखण्ड पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कुल रू० 40,00,00,000/– (चालीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

स्वीकृत कि जा रही राशि में से रू0 30 करोड़ का व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या 54, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष–03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0129 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 54–2202031020129, विषय शीर्ष 0129.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में संगत मद में 182 करोड़ रूपये का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है।

स्वीकृत कि जा रही राशि में से रू0 10 करोड़ का व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या 54, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष–03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0104 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 54–2202037890104, विषय शीर्ष 0104.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में संगत मद में 90 करोड़ रूपये का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–447 दिनांक 04.03.2024 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के भवन निर्माण हेतु बख्तियारपुर में चिन्हित भूखण्ड पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु रू० 2,19,21,00,000/–(दो अरब उन्नीस करोड़ इक्कीस लाख रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2,48,50,000/–(दो करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र विमुक्त किया गया है। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–51 दिनांक 22.07.2024 द्वारा रू० 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गई। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–57 दिनांक 28.05.2025

द्वारा रू० 25,00,00,000/-(पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार इस योजना अन्तर्गत कुल रू० 1,66,72,50,000/-(एक अरब छियासठ करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र दिया जाना अवशेष है। उक्त अवशेष राशि के विरूद्ध रू० 40,00,00,000/-(चालीस करोड़ रूपये) इस स्वीकृत्यादेश के माध्यम स्वीकृत एवं विमुक्त किया जा रहा है।

3. राशि की निकासी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए योजना की क्रियान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना के पी०एल० खाता- PBBPLA005 Ledger ID-2467 में अंतरित किया जायेगा।

4. इस योजना का क्रियान्वयन एवं गुणवता हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना जिम्मेवार होगा।

5. राशि की निकासी वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 तथा समय-समय पर निर्गत संगत दिशा निर्देश के आलोक में की जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि0 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-3 के अनुसार चालू स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त उद्व्यय एवं उपबंध के आलोक में राशि स्वीकृत की जा रही है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी5-29/2023 में दिनांक- 17.04.2026 को नोट-141/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे विधिवत् रूप से महालेखाकार कार्यालय को समर्पित किया जायेगा।

9. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877-907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

11. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

12. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

13. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग का अनुमोदन 15/पी5-29/2023 में दिनांक 04.05.2026 को पृष्ठ संख्या-68/टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—15/पी 5—29/2023.....23 पटना, दिनाक – 13/ 05 /2026

प्रतिलिपिः— विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना /योजना कोषांग, शिक्षा विभाग, पटना/कुलसचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना/ /योजना एवं विकास विभाग, पटना/बजट पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग/उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल/रोकड़पाल, उच्च शिक्षा/उपयोगिता कोषांग, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.05.26

सरकार के अवर सचिव